


3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

28 04
26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने
पूर्ण शरा अपनी भूमि अन्य व्यक्तियों
को हस्तान्तरित करने से प्रार्थी का
कोई हित नहीं रहने से प्रकरण में
कोई कार्यवाही नहीं करना चाहा।
वकील प्रार्थी की सूचना पर online
निकाली गयी जमाबन्दी की प्रति सैम
इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थी
ने जिस भूमि पुनाडिया के खसरा नं.
554/685 व 556/686 में
आवागमन के लिए नये मार्ग का
अवेकन किया था वह भूमि वर्तमान
में प्रार्थी के नाम पर दर्ज नहीं होकर
रतन सिरवी पत्नी ओम प्रकाश सिरवी
के नाम दर्ज होने से प्रकरण में प्रार्थी
पक्षकार नहीं रहने से प्रार्थी द्वारा
पस्तुत प्रकरण खारिज किया जाता
पत्रावली फलतः शुमार होकर
संभव से कम हो।



सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली